दिनांक 21.11.2022

प्रेस विज्ञप्ति

औद्योगिक विभाग के बकायेदारों/भूखण्ड आवंटन योजना/ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों की समीक्षा बैठक

आज दिनांक 21.11.2022 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी नौएडा द्वारा औद्योगिक विभाग के बड़े बकायेदारों एवं उनसे अतिदेयता की वसूली की समीक्षा की गयी। मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा विशेष कार्याधिकारी एवं सहायक महाप्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि सभी बड़े बकायेदारों को नोटिस निर्गत करते हुये अतिदेय धनराशि की वसूली सुनिश्चित करें तथा जिन बकायेदारों द्वारा नोटिस निर्गत किये जाने के पश्चात भी अतिदेय धनराशि जमा नहीं की जा रही है उनके भूखण्डों का आवंटन निरस्त किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करें। जिन प्रकरणों में माननीय न्यायालयों में वाद विचाराधीन हैं उनमें नामित अधिवक्तागण से सम्पर्क कर प्रभावी पैरवी करते हुये प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराये जाने के भी निर्देश दिये गये जिससे अतिदेय धनराशि की वसूली सुनिश्चित की जा सके। जिन प्रकरणों में भूखण्डों का आवंटन निरस्त किया जा चुका है उनमें भूखण्डों का कब्जा वापस लेने के निर्देश दिये गये।

औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन की वर्तमान प्रचलित योजना की समीक्षा भी की गयी तथा 4000 वर्गमीटर से बड़े क्षेत्रफल के भूखण्डों के आवंटन हेतु ई–ऑक्शन के लिये निर्धारित तिथि 25.11.2022 को ऑक्शन सम्पन्न कराते हुये आवंटन पत्र ससमय निर्गत करने के निर्देश मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिये गये।

माह फरवरी, 2023 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दृष्टिगत नोएडा क्षेत्र में स्थापित महत्तवपूर्ण औद्योगिक इकाईयों के साथ–साथ इस क्षेत्र में निवेश हेतु इच्छुक उद्यमियों से वार्ता करते हुये उनके साथ MoU हस्ताक्षरित करने के निर्देश भी दिये गये। जिन इकाईयों को वर्तमान योजना में औद्योगिक भूखण्ड आवंटित किये गये हैं तथा जो इकाईयां पूर्व में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में MoU हस्ताक्षरित करने से वंचित रह गयी थीं उनके साथ भी MoU हस्ताक्षरित करने के निर्देश दिये गये। बैठक में विशेष कार्याधिकारी–औद्योगिक को निर्देशित किया गया कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट–2023 हेतु नोएडा के नोडल अधिकारी श्री मानवेन्द्र सिंह, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में क्षेत्र की प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाईयों के साथ इस सम्बन्ध में नियमित अन्तराल पर बैठकों का आयोजन करायें तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में नोएडा के लिये निवेश के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु वृहद कार्ययोजना के साथ–साथ साप्ताहिक कार्ययोजना भी प्रस्तुत करें। मुख्य कार्यपालक अधिकारी को इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि दिनांक 22.11.2022 को प्राधिकरण के इन्दिरा गांधी कला केन्द्र स्थित सभागार में वर्तमान प्रचलित भूखण्ड आवंटन योजना में 4000 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल के आवंटियों को आवंटन पत्र की प्रति हस्तगत करने के साथ–साथ उनके साथ MoU भी हस्ताक्षरित किये जायेगें।

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 21.11.2022 को वाणिज्यिक परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित बकायेदार आवंटियों, प्रचलित योजनाओं, आगामी माह तक लाये जाने वाली योजनाओं एवं सम्भावित Investor Summit की रूप रेखा के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा समीक्षा बैठक ली गई। समीक्षा बैठक में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पी.के.), वित्त नियंत्रक, नोएडा तथा विभागीय विशेष कार्याधिकारी उपस्थित रहे।

समीक्षा बैठक के दौरान बकायेदार आवंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए जिन प्रकरणों में रिट याचिका संख्या–940/2017 बिक्रम चटर्जी व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के पूर्व आदेश के क्रम में विभिन्न न्यायालयों से बकायेदार आवंटियों द्वारा प्राप्त अनुतोष को न्यायिक पैरवी कराते हुए बिक्रम चटर्जी व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य वाद में वर्तमान पारित आदेश दिनांक 7.11.2022 के अनुसार माननीय न्यायालय से ऐसे आवंटियों के प्राप्त अनुतोष को समाप्त कराये जाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। बकायेदार आवंटियों को अद्यावधिक गणना कराते हुए नये मांग पत्र/नोटिस भेजे जाने के निर्देश दिये गये। जिन आवंटियों द्वारा माननीय न्यायालयों में वाद दायर कर सुनवाई हेतु वाद लम्बित है परन्तु इनमें स्थगन आदि आदेश निर्गत नही हुए हों, तो ऐसे बकायेदार आवंटियों के आवंटन निरस्त किये जाने के भी निर्देश दिये गये। जिन बकायेदार आवंटियों के विरूद्ध वसूली मांग पत्र जारी किये जाने के बावजूद उनके द्वारा प्राधिकरण की बकाया धनराशि जमा नही की जा रही है, उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए उनके आवंटन को निरस्त कराकर उनका कब्जा प्राधिकरण के पक्ष में प्राप्त कर लिया जायेगा। वर्तमान में पुनर्निधारण (reschedulment) की प्रक्रिया प्रचलन में है। बकायेदार आवंटी चाहे तो अपनी बकाया धनराशि को प्रक्रियानुसार पुनर्निधारण (reschedulment) कराकर प्राधिकरण की बकाया धनराशि को किश्तों में भी जमा करा सकते हैं।

समीक्षा बैठक के दौरान सेक्टर–18 स्थित अनुज्ञा आधारित Removable & Restructurable क्योस्कों में से अनावंटित 10 क्योस्कों, अनुज्ञा आधारित बॉटेनिकल गार्डेन, सेक्टर–38ए में निर्मित दुकानों में से अनावंटित 32 दुकानों एवं 02 कैफेटेरिया, बस टर्मिनल, सेक्टर–82 स्थित निर्मित वाणिज्यिक 16 दुकानें, 1 बैंक, 1 रेस्टोरेंट तथा 1 फूड कोर्ट एवं सेक्टर–117 में निर्मित 23 ए.सी. शॉप्स, 24 नॉन ए.सी. शॉप्स तथा 02 कैफेटेरिया की 30.11.2022 तक योजनाएं प्रकाशित करने के निर्देश दिये गये।

Investor Summit Plan के तहत अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पी.के.) के निर्देशन में अगले पांच साल में नोएडा में सम्भावित इच्छुक निवेशकों के साथ विशेष कार्याधिकारी को मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग (एम0ओ0यू0) निष्पादित कराये जाने के निर्देश दिये गये। इच्छुक निवेशकों में नये/पूराने, छोटे/बड़े निवेशकों के साथ आगामी सप्ताह से एम0ओ0यू0 कराये जायेंगे।